



# કાર્યાલય :- પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ,

## ઝારખણ્ડ, રાંચી

વન મંદિર, ડોરણા, રાંચી

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



પત્રાંક : 01 / યો0બ૦-66 / 2018-268 દિનાંક : 28/3/19

પ્રેષક,

પ્રધાન મુખ્ય વન સંરક્ષક, વિકાસ  
ઝારખણ્ડ, રાંચી ।

સેવા મેં

નિદેશક, વનરક્ષી પ્રશિક્ષણ વિદ્યાલય,  
ચાઈબાસા /

વિષય :-

વિત્તીય વર્ષ 2018-19 મેં કાર્યાન્વિત કી જાને વાલી કેન્દ્ર પ્રાયોજિત યોજના "Forest Fire Prevention & Management" યોજના (60:40) (અનુસૂચિત જાતિયોं કે લિએ વિશેષ ઘટક યોજના) કે અંતર્ગત પ્રશિક્ષણ મદ મેં કુલ રૂ0 7.500 લાખ (સાત લાખ પચાસ હજાર રૂપયે) માત્ર રાશિ કા ઑન લાઈન ઉપ આવંટન (Online Sub Allotment) ।

પ્રસંગ:-

વિભાગીય સ્વીકૃત્યાદેશ સંખ્યા 4 / યો0બ૦-55 / 2018-65 / સ્વી0 વ૦પ૦ દિનાંક 26.03.2019 એવં વિભાગીય આવંટન આદેશ સંખ્યા 04 / યો0બજટ-55 / 2018-116 આ0 વ૦પ૦ દિનાંક 26.03.2019 ।

મહાશય,

ઉપરોક્ત વિષયક પ્રસંગાધીન પત્ર કે આલોક મેં બજટ મુખ્ય શીર્ષ-2406-વાનિકી તથા વન્ય પ્રાણી, ઉપ મુખ્ય શીર્ષ- 01 વાનિકી, લઘુ શીર્ષ- 789 અનુસૂચિત જાતિયોં કે લિએ વિશેષ ઘટક યોજના, ઉપ શીર્ષ- 64 ફોરેસ્ટ ફાયર પ્રિવેન્સન એવં મૈનેજમેન્ટ (60:40) કે અંતર્ગત વિત્તીય વર્ષ 2018-19 મેં તૃતીય અનુપૂરક આગણન કે પશ્ચાત નિર્ધારિત બજટ ઉપબંધ કે અંતર્ગત સ્વીકૃત રાશિ મેં સે કુલ રૂ0 7.500 લાખ (સાત લાખ પચાસ હજાર રૂપયે) માત્ર કા ઉપ આવંટન નિમનલિખિત ઇકાઈયોં મેં કિયા જાતા હૈ :-

(ક) કેન્દ્રાંશ (60%)

પ્રાથમિક ઇકાઈ	વિપત્ર કોડ	(રાશિ લાખ મેં)
પ્રશિક્ષણ	19C240601789640335	4.500
કુલ :-		4.500

(ખ) રાજ્યાંશ (40%)

પ્રાથમિક ઇકાઈ	વિપત્ર કોડ	(રાશિ લાખ મેં)
પ્રશિક્ષણ	19S240601789640335	3.000
કુલ :-		3.000

2. ઇસ રાશિ કી નિકાસી એવં વ્યાયન પદાધિકારી અનુલગ્નક-1 પર વર્ણિત વન પ્રમણદલ પદાધિકારી હોંગે જો અપને સમુખ અંકિત કાર્યો કી રાશિ સે અપને-અપને કાર્યાલયોં કે કાર્યો કે લિએ ઉત્તરદાયી હોંગે એવં વિભાગ કો સસમય ભૌતિક એવં વિત્તીય પ્રગતિ પ્રતિવેદન તથા ઉપયોગિતા પ્રમાણ પત્ર સમર્પિત કરોંગે। ઑન લાઈન ઉપ આવંટન કી પ્રતિ અનુલગ્નક-2

पर तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभिन्न वन प्रमंडलों को Fire tracing along roads/ Maintenance of existing fire lines/ Purchase of fire fighting equipments कार्य हेतु पूर्व में उप-आवंटित राशि का प्रमंडलवार भौतिक लक्ष्य अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधितों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

5. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, विमुक्त राशि एवं अधिरोपित शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाएगा।

6. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड से उप-आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जाएगी।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जायेगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय को वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस हेतु निर्धारित बजट शीघ्र में उपबंधित राशि के अंतर्गत आवंटित राशि तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वारस्तविक रूप से विमुक्त राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. योजना का कार्यान्वयन संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से करवाया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान DBT योजना के अन्तर्गत केवल बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में Cash भुगतान नहीं किये जायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-66 / 2018-268 दिनांक- २८/३/१९

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशोदपुर/मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-66 / 2018-268 दिनांक- २८/३/१९

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जानेवाली केन्द्र प्रायोजित योजना "Forest Fire Prevention & Management Scheme" योजना (60:40) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में उप-आवंटित वित्तीय लक्ष्य

राशि (लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	प्रशिक्षण		
		केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	कुल
i	ii	iii	iv	v
1	निदेशक, वनपाल-सह-वनरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, चाईबासा	4.500	3.000	7.500
कुल योग		4.500	3.000	7.500

प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशिक्षण,  
झारखण्ड, राँची।

✓

आवंटन आदेशझारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-66/2018/268

दिनांक -

28-Mar-2

क्रमांक	विपर कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789640335	106900	SGHFOR011	300,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 64 - फारिस्ट फायर प्रिवेन्ट्सन एंड मैनेजमेंट 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय Central Scheme (State Share)		SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	रुपये तीन लाख
2	C 19 240601789640335	106904	SGHFOR011	450,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 64 - फारिस्ट फायर प्रिवेन्ट्सन एंड मैनेजमेंट 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय Central Scheme		SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	रुपये चार लाख पचास हजार
				750,000.00
योग:				
क्रमिक योग:	रुपये सात लाख पचास हजार			

(SHRI VINAY SINGH GAUR IFS)  
PCCF, DEV, JHARKHAND PANCHI